



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
 मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 920 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 920

**विषय/Sub: "कार्ट्रिज स्क्विब ऑपरेटेड कट्टर आर-4/
 Cartridge Squib Operated Cutter R - 4**

यह घोषित किया जाता है कि एआरडीई, पाषाण, पुणे - 411 021 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित और मेसर्स आर्डिनेंस फैक्टरी, देहु रोड, पुणे - 412 101 द्वारा उत्पादित "कार्ट्रिज स्क्विब ऑपरेटेड कट्टर आर-4" (सेक्शन संदर्भ सं. 312के/84) को संदर्भ पत्र सं. सेमिलैक/5070/एफ-174/टीए-920, दिनांक 14 जुलाई 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 920 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-920/अडेंडम-1/2आर, दिनांक 21 दिसंबर 2009 द्वारा अनुशेष सहित नवीकरण जारी किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Cartridge Squib Operated Cutter R - 4" (Sec Ref No. 312K/84) designed and developed by ARDE, Pashan, Pune - 411 021 and manufactured by M/s. Ordnance Factory, Dehu Road, Pune - 412 101, was issued with Type Approval No. 920 vide ref. No. CEMILAC/5070/F-174/TA-920, dated: 14th July 2001, subsequently Addendum cum Renewal issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/ TA-920/Add-1/2R, dated: 21st Dec 2009 and was valid upto 30th June 2014.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (ए/ए), डीआरडीओ, पुणे - 411 021 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2019 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (A/A), DRDO, Pune - 411 021, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 920/3R

दिनांक/Date : 27 January 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

27/1

Phanal
 (पी.जयपाल /P. JAYAPAL)
 मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
 Chief Executive (Airworthiness)